डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित ''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना'' (CSISAC) में डेरी विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत 50 दुधारू पशुओं की ईकाइ स्थापित किये जाने के लिए लाभार्थी चयन, ऋण वितरण एवं ऋण वसूली के लिए सामान्य मार्ग निर्देश–

- डेरी विकास विभाग अन्तर्गत मात्र पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति अथवा दुग्ध सहकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में अधिकृत व्यक्ति 50 दुधारू पशुओं का सहकारी डेरी फार्म/इकाई स्थापना हेतु चयनित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऋण मात्र पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति को दुग्ध संघ द्वारा अनुशंसा किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। दुग्ध समिति अपने द्वारा किसी चयनित व्यक्ति से उक्त डेरी फार्म का संचालन करा सकती है। **(संलग्नक–1)**
- दुग्ध समिति द्वारा ऋण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–2)** पर पूर्ण रूप से भरा हुआ, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक/शाखा को जनपदीय सहायक, डेरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी समवीक्षा उपरान्त स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बैंक को होगा।
- बैंक द्वारा ऋण वितरण के लिये आवश्यक कोलेट्रल गारण्टी दुग्ध समिति को उपलब्ध करानी होगी। कोलेट्रल के रूप में उस व्यक्ति जिसके द्वारा डेरी फार्म का संचालन किया जाना है, की भूमि दुग्ध समिति, बैंक तथा सम्बन्धित व्यक्ति के मध्य गठित अनुबन्ध के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
- योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, ब्याज की गणना मासिक आधार पर कर ऋण खातें में पूंजीगत किया जायेगा।
- दुग्ध समिति अथवा उसके द्वारा चयनित व्यक्ति किसी वित्तीय संस्थान का बकायेदार नही होगा।
- लाभार्थी द्वारा दुधारू पशु परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य के बाहर निर्धारित पशु फार्मों की सूची में सूचीबद्ध फार्मों से ही क्रय किये जायेगे। यदि दुधारू पशु राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान से क्रय किये जाते है तो इसकी पूर्व अनुमति परियोजना निदेशक डेरी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पशु बीमा यू0एल0डी0बी की पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत बैंक स्तर से सीधे बीमा कम्पनी को बीमा धनराशि अंश प्रेषित करते हुए कराया जायेगा। साथ ही पशु का ट्रांजिट बीमा भी कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शेष मदों की धनराशि बैंक द्वारा दुग्ध समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दुग्ध संघ/डेरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर तकनीकी परामर्श एवं पशुचिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपदीय सहायक निदेशक डेरी, एन0सी0डी0सी0योजना के नोडल अधिकारी होगें।
- स्वीकृत ऋण की वापसी बैंक द्वारा निर्धारित किस्त के रूप में 05 वर्ष में की जायेगी।
- योजनान्तर्गत क्रय किये गये दुधारू पशु ऋण अदा होने तक बिक्री नही किये जा सकेगें।

क्रमशः.....02

- दुग्ध समिति द्वारा सहकारी डेरी फार्म में प्रतिदिन उत्पादित समस्त दूध अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजनान्तर्गत दुग्ध समिति को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख समिति स्तर पर सुरक्षित रखे जाने का उत्तरदायित्व समिति सचिव एवं पर्यवेक्षक का होगा।
- योजनान्तर्गत क्रय किया जाने वाला पशुधन राज्य के बाहर से ही क्रय किया जायेगा। पशुक्रय सुनिश्चित किये जाने के लिए जनपद स्तर पर गठित पशु क्रय कमेटी द्वारा पशु क्रय से पूर्व संलग्न विवरणानुसार पशु की जांच कर क्रय रशीद पर समस्त सूचना संरक्षित की जायेगी। **(संलग्नक–3)**
- पशुक्रय हेतु निर्धारित दुधारू पशु क्रय कमेटी द्वारा लाभार्थी के फोटो पशु सहित, क्रय रसीद आदि का संरक्षण निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–4)** पर किया जायेगा तथा एक प्रति दुग्ध संघ स्तर पर संरक्षित करते हुए मूल प्रति परियाजना निदेशक (डेरी) कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
- योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का कार्य दुग्ध संघ में तैनात पशु चिकित्सक द्वारा किया जायेगा तथा बीमा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के लिए सम्बन्धित पशु चिकित्सक एवं दुग्ध संघ के प्रभारी पी0 एण्ड आई0 पूर्णरूप से उत्तरदायी होगे।

संलग्नक–1

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

आम बैठक

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.....जनपद.....

बैठक का स्थान..... दिनांक–..... समय–.....

उपस्थिति– (बैठक में उपस्थित समस्त के नाम व हस्ताक्षर अंकित किये जायें)

————————————

————————————

प्रस्ताव	विचार
प्रस्ताव संख्या–..... एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थितों को जानकारी प्रदान किये जाने पर विचार।	–बैठक मे उपस्थित समिति पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में डेरी क्षेत्र के विकास हेतु एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से दुग्ध सहकारी समिति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को 50 दुधारू पशुओं की सहकारी डेरी फार्म इकाई स्थापित किये जाने के लिये एक ऋण योजना स्वीकृत की गयी है, जिसकी इकाई लागत रू0 92.40 लाख विभिन्न मदों में निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत एन0सी0डी0सी0 द्वारा योजना लागत का 14.59 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण जिला सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखा द्वारा किया जायेगा जिस पर 12.00 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। ऋण की अदायिगी मासिक किस्तों में अधिकतम 05 वर्षों में की जा सकेगी। योजनान्तर्गत दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जाने अनिवार्य होगे तथा दुग्ध समिति द्वारा रू0 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जायेगा। दुग्ध समिति द्वारा प्रतिदिन समस्त दूध, सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संघ को उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रस्ताव संख्या–..... एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने पर विचार।	–बैठक में सभी उपस्थितों को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान किये जाने के उपरान्त दुग्ध सहकारी समिति ..... द्वारा स्वयं/अपने सदस्य श्री/सुश्री/श्रीमति..... .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सदस्यता संख्या–....., का चयन उक्त योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु किया गया। श्री/सुश्री/श्रीमति..... .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....के चयन का मुख्य आधार यह रहा कि उनके पास दुधारू पशु पालने तथा उन्हे रखने हेतु पर्याप्त स्थान तथा चारे आदि की व्यवस्था के लिये पर्याप्त भूमि एवं संशाधन उपलब्ध हैं तथा चयनित सदस्य अपनी भूमि बन्धक के रूप में रखने का सहमत है।

प्रस्ताव संख्या–..... दुग्ध सहकारी समिति द्वारा ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध करने पर विचार।	–दुग्ध सहकारी समिति....., प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ..... से अनुरोध करती है कि बैठक में पारित उपरोक्त प्रस्ताव संख्या–..... के क्रम में संलग्न आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए सहायक निदेशक के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृत हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर व मुहर
अध्यक्ष दुग्ध सहकारी समिति .....

हस्ताक्षर व मुहर
सचिव दुग्ध सहकारी समिति ...

सत्य प्रतिलिति प्रमाणित

हस्ताक्षर व मुहर
पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारी समिति .....

हस्ताक्षर व मुहर
प्रभारी पी0एण्ड0आई0 / मार्ग प्रभारी, दुग्ध संघ.....

(संलग्नक–2)

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना''

अन्तर्गत 50 दुधारू पशु सहकारी डेरी फार्म इकाई स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन–पत्र

(Application-Form)

खण्ड–''अ''

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

सहकारी बैंक.....,

जनपद–.....

समिति सचिव/अध्यक्ष का संयुक्त अथवा नामित व्यक्ति का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो

महोदय,

दुग्ध सहकारी समिति .....''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना'' के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन हेतु 50 दुधारू पशु सहकारी डेरी फार्म इकाई स्थापना के लिए ऋण लेना चाहती है।

सहकारी डेरी फार्म का संचालन दुग्ध समिति के लिये समिति सदस्य श्री/सुश्री/श्रीमति ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री....., जिनका सदस्यता कमांक..... है, द्वारा किया जायेगा जिसके लिये दुग्ध समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।**(यदि फार्म का संचालन दुग्ध समिति स्वयं न कर अपने लिये किसी अपने सदस्य से कराती है तो उल्लेख किया जाये)**

दुग्ध सहकारी समिति से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं निम्नवत हैं–

1. दुग्ध सहकारी समिति का नाम.....
2. दुग्ध सहकारी समिति वर्ष.....से लगातार संचालित है।
3. दुग्ध सहकारी समिति की पंजीकरण संख्या व दिनांक–.....(प्रति संलग्न करें)
4. यदि डेरी फार्म का संचालन नामित सदस्य द्वारा किया जाना है तो उसका आधार संख्या–..... .....(प्रति संलग्न करें)
5. दुग्ध समिति के पोरर सदस्यों की संख्या.....
6. दुग्ध सहकारी समिति सचिव का नाम श्री/सुश्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....,

क्रमशः.....02....

7. दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष का नाम श्री/सुश्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....,
8. दुग्ध सहकारी समिति का कुल औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन .....ली0, जो दुग्ध संघ को आपूर्ति किया जा रहा है तथा अनुमानित दैनिक मूल्य रू0.....।
9. दुग्ध सहकारी समिति का पताः ग्राम..... पोस्ट..... विकासखण्ड..... तहसील....., जनपद.....
10. दुग्ध समिति सचिव का दूरभाष/मोबाईल नं0.....।
11. दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष का दूरभाष/मोबाईल नं0.....।
12. डेरी फार्म संचालन हेतु नामित सदस्य का दूरभाष/मोबाईल नं0.....।
13. दुग्ध सहकारी समिति की सम्पत्तियों का विवरण–(निम्न में से जो उपलब्ध हो का उल्लेख करें)

क0सं0	विवरण	संख्या/इकाई	वर्तमान मूल्य
1–	**अचल सम्पत्ति–**		
अ	भूमि (स्वयं की) एकड में		
ब	भवन		
स	अन्य		
2–	**चल सम्पत्ति–**		
अ	दुग्ध संघ में जमा हिस्सा पूंजी		
ब	दुग्ध संघ से प्राप्त होना शेष दुग्ध मूल्य आदि		
स	दुग्ध समिति में जमा समिति सदस्यों की हिस्सा पूंजी		
द	दुग्ध समिति के बैंक खातों में जमा अवशेष		
य	दुग्ध समिति का अर्जित शुद्ध लाभ (प्रमाण संलग्न करें)		

यदि डेरी फार्म का संचालन समिति द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से कराया जाना है तो निम्न सूचनाएं भी उपलब्ध कराते हुए उचित प्रमाण संलग्न करें–

क0सं0	विवरण	संख्या/इकाई	वर्तमान मूल्य
1–	**अचल सम्पत्ति–**		
अ	भूमि (स्वयं की) एकड में		
ब	मकान/भवन		
स	ट्रैक्टर शेड		
द	अन्य		
2–	**चल सम्पत्ति–**		
अ	कृषि कार्यों से सम्बन्धित पशु (बैल आदि)		
ब	दुधारू पशु		
स	मुर्गी/बकरी/भेड आदि		
द	ट्रैक्टर तथा सम्बन्धित उपकरण आदि		
य	अन्य वाहन		
र	बैंक खाते में अवशेष/अन्य जमा का विवरण		

क्रमशः.....03

14. यदि दुग्ध समिति अथवा उसके नामित व्यक्ति द्वारा किसी संस्था या बैंक से ऋण लिया है, तो सम्पूर्ण विवरण.....
.....

दुग्ध सहकारी समिति..... शपथ पूर्वक बयान करती है, कि बिन्दु संख्या 01 से 14 तक दी गयी समस्त सूचनाएं सही एवं सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया/गलत दर्शित नही किया गया है तथा स्वीकृत ऋण एवं राज सहायता का उपयोग परियोजना अन्तर्गत निर्धारित इकाई लागत के अनुसार किया जायेगा। साथ ही दुधारू पशु प्रदेश के बाहर से उन्नत नस्ल के क्रय किये जायेगें जिनकी देख–रेख भली–भांति की जायेगी तथा लिये गये ऋण की किस्त समय से अदा की जायेगी।

यदि उक्त में कोई तथ्य भविष्य में असत्य/गलत/छिपाया पाया जाता है तो स्वीकृत ऋण एवं राज सहायता एक मुस्त वसूलने का अधिकार बैंक/परियोजना निदेशक (डेरी) राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून को होगा।

हस्ताक्षर–

सचिव, अध्यक्ष

नाम–(.....) नाम (.....)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति.....

यदि दुग्ध समिति द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से कार्य कराया जाना है तो–

हस्ताक्षर–

नाम–(.....)

दुग्ध समिति द्वारा नामित व्यक्ति

खण्ड–''ब''

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... द्वारा संस्तुति

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... यह प्रमाणित करती है कि वह उपरोक्त आवेदन पत्र के माध्यम से स्वीकृत होने वाले ऋण से स्वयं/दुग्ध समिति के सदस्य श्री/सुश्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... जिनकी सदस्यता संख्या–.....है, 50 दुधारू पशुओं का सहकारी डेरी फार्म स्थापित करेगी/करायेगी तथा उससे उत्पादित समस्त दूध, दुग्ध संघ.....को आपूर्ति किया जायेगा। स्वीकृत ऋण की मासिक किस्त ऋण अदायिगी तक दुग्ध समिति द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित किस्त के रूप में

क्रमशः.....04

बैंक को अदा की जाती रहेगी। हमारी दुग्ध सहकारी समिति द्वारा एन0सी0डी0योजना अन्तर्गत ऋण एवं राज सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में दुग्ध समिति की बैठक दिनांक.....को प्रस्ताव संख्या..... (प्रस्ताव की छायापति संलग्न) पारित किया गया है। दुग्ध सहकारी समिति स्वीकृत ऋण को निर्धारित अवधी में अदा करने का वचन देती है।

हस्ताक्षर–

सचिव, **अध्यक्ष**

नाम–(.....) नाम (.....)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति.....

यदि दुग्ध समिति द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से कार्य कराया जाना है तो–

हस्ताक्षर–

नाम–(.....)

दुग्ध समिति द्वारा नामित व्यक्ति

संस्तुति सहित अग्रसारित

हस्ताक्षर **समिति मुहर सहित सचिव**

(मार्ग प्रभारी) **व अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

नाम–

दिनांक.....

खण्ड–''स''

जनपदीय दुग्ध संघ एवं डेरी विकास विभाग की संस्तुति

दुग्ध सहकारी समिति.....ग्राम..... पोस्ट..... विकास खण्ड.....जनपद..... द्वारा 50 दुधारू पशुओं के सहकारी डेरी फार्म की स्थापना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का भली–भांति परीक्षण किया गया तथा पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त दुग्ध सहकारी समिति को ऋण स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है। दुग्ध सहकारी समिति द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित किस्त बैंक लोन खातें में नियमित जमा की जायेगी।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रबंधक/प्रधान प्रबन्धक **सहायक निदेशक**

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, **डेरी विकास विभाग,**

.....। **.....।**

(संलग्नक–3)

जनपद स्तर पर एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत पशुधन क्रय कमेटी निम्नानुसार होगी–

क्रमांक	नाम अधिकारी / कर्मचारी	क्रय कमेटी में पद
1	वरि0दु0निरीक्षक / दुग्ध निरीक्षक / प्रभारी पी0एण्ड0आई	अध्यक्ष
2	पशु चिकित्सक, दुग्ध संघ	सचिव
3	समिति पर्यवेक्षक	सदस्य
4	सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक	सदस्य

क्रय कमेटी दुधारू पशु क्रय से पूर्व निम्नानुसार जांच करेगी–

1–दुधारू गाय का दूध न्यूनतम 12 ली0 से कम न हो तथा पशु 02 ब्यांत से अधिक का न हो।
2–दुधारू भैंस का दूध न्यूनतम 10 ली0 से कम न हो तथा पशु 02 ब्यांत से अधिक का न हो।
3–दुधारू पशु की सम्पूर्ण स्वास्थय जांच सुनिश्चित की जाय।
4–पशु के चारो थन स्वस्थ हों व उनसे दूध की निकासी में किसी प्रकार की रूकावट न हो।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना''

पशु क्रय विवरण–प्रपत्र (प्रत्येक पशु के लिये अलग–अलग)

क्रेता–विक्रेता का विवरण	
क्रेता का विवरण	विक्रेता का विवरण
1 क्रेता का नाम.....	1. विक्रेता का नाम.....
2 पिता/पति का नाम.....	2. पिता का नाम.....
3 लाभार्थी की श्रेणी (APL/BPL) एवं (SC/ST)–	3. पूर्ण पता–..... .....
4 पूर्ण पता–.....	4. टेलीफोन/मो0नं0.....
5 समिति का क्षेत्र (पर्वतीय/मैदानी)–.....	5 बैंक खाता संख्या–.....
6 टेलीफोन/मो0नं0.....	6 आई0एफ0एस0सी0 कोड–.....
7 समिति का नाम.....	7 बैंक शाखा विवरण–..... .....
	8 पशु का मूल्य उक्त बैंक खातें में हस्तान्तरित किया जाये।

<u>क्रय पशु का विवरण</u>

1. पशु क्रय करने की तिथि..... पशु की उम्र–.....
2. वाहन का प्रकार व संख्या, जिससे पशु का परिवहन किया गया.....
3. पशु का प्रकार गाय/भैंस–..... पशु की नस्ल.....
4. पशु का मूल्य (रू में)....., (शब्दों में) .....
5. क्रय के समय पशु का दुग्ध मात्रा(ली0) में..... पशु की ब्यांत संख्या–.....
6. पशु का संक्षिप्त विवरण (रंग,माप आदि):–..... टैग न0–.....
7. यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि क्रय किया जा रहा पशु राज्य के बाहर से क्रय किया गया है।
8. मेरे द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त उपरोक्त विवरण का पशु रू0....., (शब्दों में) रू0.....में क्रय किया गया है। मै अंकित विवरण अनुसार रू0..... ....., (शब्दों में) रू0..... सम्बन्धित पशु विक्रेता को भुगतान/हस्तान्तरित करने का अधिकार परियोजना कार्यालय को प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
क्रेता	**विक्रेता**	**पर्यवेक्षक**	**पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ**	**अध्यक्ष क्रय कमेटी**

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संलग्न पशु क्रय विवरण/रशीद के अनुसार दुधारू पशु स्वयं की पसन्द से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ..... टाईम का दुहान देखते हुए क्रय किया गया है, जिसका फोटो मेरे एवं विक्रेता के साथ निम्नवत् चस्पा है।

क्रय किये गये पशु सहित क्रेता व विक्रेता एवं क्रय कमेटी के दो सदस्यों का एक संयुक्त रंगीन फोटो

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्रेता	विक्रेता	पर्यवेक्षक	पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ	अध्यक्ष क्रय कमेटी

अनुबन्ध प्रपत्र

कोलेट्रल गारण्टी के सम्बन्ध में

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना''

50 पशुओं के ऋण, अनुदान राशि हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति द्वारा नामित सदस्य..... तथा सहकारी बैंक के मध्य)

(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

आज दिनांक.....को यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध/करार, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.....(प्रथम पक्ष), दुग्ध समिति द्वारा नामित सदस्य श्री/श्रीमति/कु0..... .....(द्वितीय पक्ष), तथा सहकारी बैंक, के मध्य किया गया, जिसकी शर्ते निम्नवत् है–

1. दुग्ध सहकारी समिति....., जनपद..... को डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित ''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना'' में 50 दुधारू पशुओं के सहकारी डेरी फार्म स्थापना हेतु रू 69.68 लाख (रू0 उन्हत्तर लाख अडसठ हजार मात्र) का ऋण, रू 13.48 लाख (रू तेरह लाख अडतालिस हजार मात्र) का अनुदान तथा 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू0 09.24 लाख (रू नो लाख चौबिस हजार मात्र) कुल रू0 92.40 लाख (रू बयानवे लाख चालिस हजार मात्र) निर्धारित है, तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को स्वीकृत किया गया है।
2. धनराशि स्वीकृति हेतु आवश्यक कोलेट्रल गारण्टी के लिये आवश्यक भूमि दुग्ध समिति (प्रथम पक्ष) के पास उपलब्ध नही है।
3. द्वितीय पक्ष का चयन डेरी फार्म संचालन हेतु प्रथम पक्ष की बैठक दिनांक....., प्रस्ताव संख्या–.....में हुआ है तथा यह तय पाया गया है कि द्वितीय पक्ष ऋण स्वीकृति हेतु आवश्यक मात्रा में अपनी भूमि प्रथम पक्ष के पक्ष में बन्धक के रूप में बैंक को देने हेतु सहमत है।
4. तृतीय पक्ष, द्वितीय पक्ष की भूमि प्रथम पक्ष को स्वीकृत किये जा रहे ऋण के सापेक्ष बन्धक रखने हेतु सहमत है।

क्रमशः.....02...

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

उपरोक्त अनुबन्ध/शर्तों का दुग्ध सहकारी समिति (प्रथम पक्ष), दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,.....(द्वितीय पक्ष), सहकारी बैंक (तृतीय पक्ष), कठोरता से अनुपालन करेंगें।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
सचिव/अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, (प्रथम पक्ष)	समिति द्वारा नामित सदस्य श्री..... दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0, (द्वितीय पक्ष)	शाखा प्रबन्धक, सहकारी बैंक..... जनपद....., (तृतीय पक्ष)

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

1. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

2. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

अनुबन्ध प्रपत्र

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना''

50 पशुओं के ऋण, अनुदान राशि हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक के मध्य)

(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

आज दिनांक.....को यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध/करार, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.....(प्रथम पक्ष), प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, ...(द्वितीय पक्ष), तथा सहकारी बैंक, के मध्य किया गया, जिसकी शर्ते निम्नवत् है–

1 सहकारी बैंक (तृतीय पक्ष), द्वारा प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, ...(द्वितीय पक्ष), की संस्तुति एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..... .....(प्रथम पक्ष), द्वारा दिये गये वचन के आधार पर प्रथम पक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, ...को परियोजना अन्तर्गत 50 दुधारू पशु के सहकारी डेरी फार्म की स्थापना हेतु निर्धारित इकाई लागत के अनुसार ऋण एवं अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2 सहकारी बैंक (तृतीय पक्ष), द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समित लि0,.....(प्रथम पक्ष), को प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, ...(द्वितीय पक्ष), की संस्तुति पर रू 69.68 लाख (रू0 उन्हत्तर लाख अडसठ हजार मात्र) का ऋण एवं रू 13.48 लाख (रू तेरह लाख अडतालिस हजार मात्र) का अनुदान, कुल रू 83.16 लाख (रू तिरासी लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू0 09. 24 लाख (रू नो लाख चौबिस हजार मात्र) लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार कुल इकाई लागत रू0 92.40 लाख (रू बयानवे लाख चालिस हजार मात्र) निर्धारित है।

3 दुग्ध समिति द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु एक अलग बैंक खाता, जो .....के नाम से खेला गया है, जिसकी खाता संख्या....., आई0एफ0एस0सी0 न0–..... .....बैंक.....शाखा.....में है जिसमें बैंक ऋण की राशि हस्तान्तरित की जायेगी। दुग्ध समिति द्वारा खोले गये इस खाते का संचालन समिति सचिव, अध्यक्ष समिति पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

4 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 ..... को स्वीकृत राशि में से दुधारू पशु क्रय हेतु निर्धारित धनराशि से क्रय किये गये उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की धनराशि सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा पशु विक्रेता को सीधे भुगतान किया जायेगा।

5 दुधारू पशु परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य के बाहर निर्धारित पशु फार्मों की सूची में सूचीबद्ध फार्मों से ही क्रय किये जायेगे। यदि दुधारू पशु राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान से क्रय किये जाते है तो इसकी पूर्व अनुमति परियोजना निदेशक डेरी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6 दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत कराया जायेगा तथा बीमा धनराशि बैंक द्वारा सीधे बीमा कम्पनी को भुगतान की जायेगी।

7 योजनान्तर्गत शेष मदों यथा निर्माण कार्य, प्लान्ट मशीनरी तथा अन्य मदों की निर्धारित धनराशि बैंक द्वारा दुग्ध समिति के अलग से खोले गये बिन्दु संख्या–03 में वर्णित बैंक खातें में जमा की जायेगी दुग्ध समिति/समिति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा ततसम्बन्धी

क्रमशः.....02

अभिलेख दुग्ध समिति स्तर पर रक्षित करते हुए एक प्रति परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दुग्ध संघ/डेरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर तकनीकी परामर्श एवं पशुचिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9 दुग्ध समिति (प्रथम पक्ष) द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण की अदायिगी अधिकतम 05 वर्ष में की जा सकेगी तथा इस अवधि मे दुधारू पशु भी बिक्री नहीं किये जाएंगे। यदि प्रथम पक्ष द्वारा शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो बैंक/परियोजना कार्यालय को अधिकार होगा कि वह ऋण व अनुदान धनराशि की एक मुश्त वसूली कर ले।

10 ऋण एवं ब्याज की वसूली निर्धारित मासिक किस्तों में दुग्ध समिति द्वारा सम्बन्धित बैंक में खोले गये ऋण खातें में जमा की जायेगी।

11 ऋण की राशि से क्रय किये गये दुधारू पशु द्वारा उत्पादित समस्त गुणवत्तायुक्त दूध, प्रथम पक्ष द्वारा केवल जनपदीय दुग्ध संघ को अनिवार्य रूप से देना होगा तथा दूध कहीं अन्यत्र नहीं बेचा जायेगा।

12 योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण की वापसी न होने की दशा में दुग्ध सहकारी समिति/दुग्ध समिति द्वारा नामित व्यक्ति की सम्पत्ती को ऋण एवं ब्याज की धनराशि वसूलने के लिये बिक्री करने का अधिकार बैंक/परियोजना निदेशक (डेरी) को होगा।

13 उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 व नियमावली 2004 के अन्तर्गत ऋण वसूली के लिये निर्धारित धाराएं तथा नियम दुग्ध सहकारी समिति को मान्य होंगी।

14 योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण से स्थापित डेरी फार्म तथा प्लान्ट मशीनरी के रख–रखाव में होने वाले आवृत्ति व्यय का वहन दुग्ध समिति अथवा उसके नामित सदस्य द्वारा किया जायेगा।

15 प्रथम पक्ष इस तथ्य से सहमत है कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से उत्पन्न समस्त सम्पत्ति बैंक/परियोजना निदेशक (डेरी) के दृष्टि बन्धक रहेगी।

16 **यह कि भविष्य में पक्षों के मध्य यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों का निपटारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 व नियमावली 2004 में निहित प्राविधान एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, द्वारा किया जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा तथा समस्त पक्षों को मान्य होगा।**

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

उपरोक्त अनुबन्ध/शर्तों का दुग्ध सहकारी समिति (प्रथम पक्ष), दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,.....(द्वितीय पक्ष), सहकारी बैंक (तृतीय पक्ष), कठोरता से अनुपालन करेंगें।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
सचिव/अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, (प्रथम पक्ष)	प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक /सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, (द्वितीय पक्ष)	शाखा प्रबन्धक, सहकारी बैंक..... जनपद....., (तृतीय पक्ष)

क्रमशः.....03

(यदि डेरी फार्म का संचालन समिति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जाना है तो)

हस्ताक्षर

( )

नाम नामित व्यक्ति

पूरा पता–

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

1. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 / आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

2. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 / आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम.....
पिता का नाम.....
वोटर आई0डी0 कार्ड0 / आधार कार्ड संख्या–.....
पता.....